सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 30897 दिनांक 07 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पास जारी करने के संबंध में यथोचित निर्देश समय–समय पर जारी किए गए हैं। आदेश क्रमांकः 22536 दिनांक 30/03/2020 से निर्देशित किया गया था कि जिला कार्यालय की अनुमति के बिना जिले/उपखण्ड क्षेत्र से बाहर आवागमन के क्रम में न्यायोचित एवं उचित कारण स्पष्ट करने पर, आवश्यक समझे जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंषा सहित निर्धारित प्रारूप में पास जारी करने हेतु सीमित/न्यूनतम संख्या में प्रस्ताव जिला कार्यालय को भिजवायेगे, जो बाद प्रति–हस्ताक्षर उन्हे लौटाये जावेगें।

विशेष अपवादिकी परिस्थिति यथा गंभीर बीमार व्यक्ति को उपखण्ड़/जिले से बाहर आवागमन की अनुमति हेतु अभिशंषा/प्रस्ताव भिजवाने एवं पास जारी कर लौटाये जाने में समय लगने की संभावना रहती हैं, ऐसे में व्यक्तियो के जीवन रक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता हैं।

अतः भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा एवं लॉक डाउन अवधि में विशेष अपवादिकी परिस्थिति यथा गंभीर बीमार व्यक्ति को उपखण्ड़/जिले में आवागमन हेतु पास सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी कर सकेगे। साथ ही आदेश दिये जाते हैं कि ऐसे मामलो में स्वविवेक से निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करावे तथा आपके क्षेत्र में स्थापित चेक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारी/कार्मिको को भी तदनुसार यथोचित निर्देश प्रसारित करे। ताकि किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
4. **संभागीय आयुक्त, अजमेर**
5. **महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर**
6. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा** को अधीनस्थ पुलिस अधिकारियो को यथोचित निर्देश प्रदान कराने हेतु।

Scanned by CamScanner

7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
13. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
15. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
17. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
18. सब रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा
19. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
22. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
23. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
24. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय

21/5/2021

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner